1.5.2026

वकील उभय पक्ष उप.। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन किया अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनो को दौराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा को तांफैसला दावा कन्फर्म करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज करने का निवेदन किया। मेरे विनम्र मत के अनुसार प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में दिनांक 12.08.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।